

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सं. 70/2017—केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1531(अ).— केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 में,—

(i) प्ररूप जीएसटीआर-1 में, सारणी-6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“6. शून्य दर पूर्तियां और समझे गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			शिपिंग बिल/निर्यात का बिल		एकीकृत कर			केंद्रीय कर			राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर			उपकर
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	दर	कराधेय मूल्य	रकम	दर	कराधेय मूल्य	रकम	दर	कराधेय मूल्य	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6क. निर्यात															
6ख. विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को की गई पूर्तियां															
6ग. समझे गए निर्यात															
															”;

(ii) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01, -

(क) सारणी 7 में, खंड (ज) में, “समझे गए निर्यात का प्राप्तिकर्ता ” शब्दों के स्थान पर “समझी गई निर्यात पूर्तियों का प्राप्तिकर्ता/समझी गई निर्यात पूर्तियों का पूर्तिकार” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) विवरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“विवरण 1क [नियम 89(2)(ज)]

प्रतिदाय किस्म : विपर्यस्त कर ढांचे के कारण संचित आईटीसी [धारा 54(3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]

(घ) घोषणा [नियम 89(2)(छ)] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

“घोषणा [नियम 89(2)(छ)]	
(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता/पूर्तिकार के लिए)	
प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में	<input type="checkbox"/>
<p>मैं, घोषणा करता हूँ कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई वैध विवरणी में लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है। मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि पूर्तिकार ने उक्त पूर्तियों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।</p>	
पूर्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में	<input type="checkbox"/>
<p>मैं, घोषणा करता हूँ कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है। मैं, यह भी घोषणा करता हूँ कि प्राप्तिकर्ता उक्त पूर्तियों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और प्राप्तिकर्ता ने ऐसी पूर्तियों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय भी नहीं लिया है।</p>	
हस्ताक्षर	
नाम -	पदनाम / प्रास्थिति”;

<u>वचनबंध</u>	
<p>मैं एतद्वारा, वचन देता हूँ कि यदि बाद में यह पाया जाता है कि रिफण्ड की गई राशि के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम / एससीजीएसटी अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के उपवाक्य (ग) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाएँ पूरी नहीं हुई हैं तो मैं स्वीकृत रिफण्ड की राशि तथा साथ में उस पर लगने वाले ब्याज को लौटा दूँगा।</p>	
हस्ताक्षर	
नाम--	पदनाम / प्रास्थिति”;

(iii) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01क में,-

(क) सारणी 7 में, खंड (छ) में, “समझे गए निर्यात का प्राप्तिकर्ता” शब्दों के स्थान पर “समझी गई निर्यात पूर्तियों का प्राप्तिकर्ता/समझी गई निर्यात पूर्तियों का पूर्तिकार” शब्द रखे जाएंगे;

						कर						कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												”;

(घ) विवरण 5क के पश्चात् निम्नलिखित विवरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“विवरण 5ख [नियम 89(2)(ख)]

प्रतिदाय किस्म : समझे गए निर्यातों के लेखे

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	पूर्तिकार द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे/प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक पूर्तियों के बीजकों के ब्यौरे			संदत्त कर			
	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य /संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8
							”;

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(भाग)]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

टिप्पणः— मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610(अ) तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 55/2017-केंद्रीय कर तारीख 15 नवंबर, 2017, जो सा.का.नि. सं. 1411(अ) तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2017

No. 70/2017 – Central Tax

G.S.R. 1531(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

(1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Thirteenth Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, -

(i) in **FORM GSTR-1**, for Table – 6, the following shall be substituted, namely:-

“6. Zero rated supplies and Deemed Exports

GSTIN of recipient	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export		Integrated Tax			Central Tax			State / UT Tax			Cess
	No.	Date	Value	No.	Date	Rate	Taxable value	Amt.	Rate	Taxable value	Amt	Rate	Taxable value	Amt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6A. Exports															
6B. Supplies made to SEZ unit or SEZ Developer															
6C. Deemed exports															
															”;

(ii) in **FORM GST RFD-01**,-

(a) in Table 7, in clause (h), for the words “Recipient of deemed export”, the words “Recipient of deemed export supplies/ Supplier of deemed export supplies” shall be substituted;

(b) after Statement 1, the following Statement shall be inserted, namely:-

“Statement 1A [rule 89(2)(h)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

Sl. No.	Details of invoices of inward supplies received			Tax paid on inward supplies			Details of invoices of outward supplies issued			Tax paid on outward supplies		
	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State / Union territory Tax	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State / Union territory Tax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												”;

(c) after Statement 5A, the following Statement shall be inserted, namely:-

“Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in Rs)

Sl. No.	Details of invoices of outward supplies in case refund is claimed by	Tax paid

supplier/Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient							
No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State /Union Territory Tax	Cess	
1	2	3	4	5	6	7	8
							;"

(d) for the **DECLARATION [rule 89(2)(g)]**, the following shall be substituted, namely:-

<p><u>“DECLARATION [rule 89(2)(g)]</u></p> <p>(For recipient/supplier of deemed export)</p> <p>In case refund claimed by recipient <input type="checkbox"/></p> <p>I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed and the amount does not exceed the amount of input tax credit availed in the valid return filed for the said tax period. I also declare that the supplier has not claimed refund with respect to the said supplies.</p> <p>In case refund claimed by supplier <input type="checkbox"/></p> <p>I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed. I also declare that the recipient shall not claim any refund with respect of the said supplies and also, the recipient has not availed any input tax credit on such supplies.</p> <p>Signature _____</p> <p>Name – _____</p> <p style="text-align: right;">Designation / Status _____</p>
--

<p><u>UNDERTAKING</u></p> <p>I hereby undertake to pay back to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case it is found subsequently that the requirements of clause (c) of sub-section (2) of section 16 read with sub-section (2) of section 42 of the CGST/SGST Act have not been complied with in respect of the amount refunded.</p> <p>Signature _____</p> <p>Name – _____</p> <p style="text-align: right;">Designation / Status”;</p>
--

(iii) in **FORM GST RFD-01A**,-

(a) in Table 7, in clause (g), for the words “Recipient of deemed export”, the words “Recipient of deemed export supplies/ Supplier of deemed export supplies” shall be substituted;

(d) after Statement 5A, the following Statement shall be inserted, namely:-

“Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in Rs)

Sl. No.	Details of invoices of outward supplies in case refund is claimed by supplier/ Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient			Tax paid			
				Integrated Tax	Central Tax	State /Union Territory Tax	Cess
No.	Date	Taxable Value					
1	2	3	4	5	6	7	8
							”.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published *vide* number G.S.R 610(E), dated the 19th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 55/2017-Central Tax, dated the 15th November, 2017, published *vide* number G.S.R. 1411 (E), dated the 15th November, 2017.